

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3844/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुलदीप पयाल	उत्तरकाशी	10.05.85	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-2137/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3845/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शंकर आर्य	बागेश्वर	5.6.81	सिंचाई खण्ड नैनीताल	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
पत्रांक:-3846/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महेन्द्र सिंह मुस्यनी	अल्मोड़ा	20.07.80	सिंचाई खण्ड, धारचूला	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-
1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
 2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
 4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
 7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
 9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- 3846/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3847/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आराधना	उत्तरकाशी	10.10.90	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

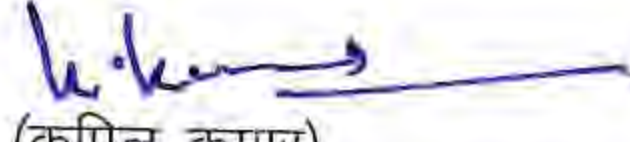
1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3847/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

 12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3848/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक ¹²~~10~~ जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संजीत भण्डारी	टिहरी	1.7.72	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	परियोजना खण्ड, देहरादून	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3848/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3849/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील चौहान	टिहरी	01.07.79	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3849/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3850/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक ¹²~~10~~ जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुमित कुमार	हरिद्वार	10.7.89	पी०एम०जी०एस० वाई सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3850/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3851/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शालिनी गुप्ता	चमोली	15.02.91	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड-2 श्रीनगर।	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3851/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3852/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिद्धार्थ शाह	अल्मोड़ा	01.05.83	पी0एम0जी0 एस0वाई0, सिं0ख0, अल्मोड़ा	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3852/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3853/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हयात राम	चम्पावत	10.06.85	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, चम्पावत	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, लौहाघाट	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3853/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3854/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक ¹²~~10~~ जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष पोखरियाल	टिहरी	25.88	अवस्थापना (पुर्न०) ख०, नई टिहरी	पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3854/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3855/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौरव कुमार	अल्मोडा	9.5.88	सिंचाई खण्ड रानीखेत	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3856/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोनू कुमार	हरिद्वार	15.11.89	सिंचाई खण्ड, थराली	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3856/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3857/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 19 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मौ० आबिद	श्रीनगर	1.7.79	पी०एम०जी०एस०वा ई०सिंचाई खण्ड, नैनीताल	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3857/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3858/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रदीप सिंह रावत	अल्मोड़ा	30.08.90	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड, चम्पावत	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

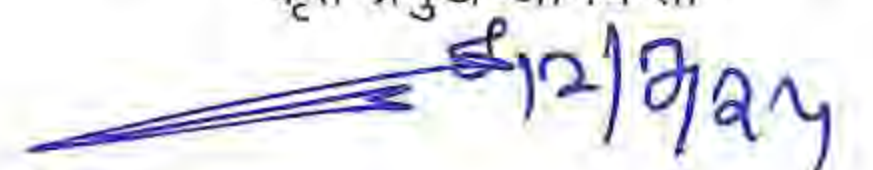
संख्या:-3858/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3859/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हिमाशु सुयाल	नैनीताल	9.12.90	सिंचाई खण्ड रानीखेत	सिंचाई खण्ड, रामनगर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3859/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3860/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक ¹²~~10~~ जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीतू मेहता	नैनीताल	17.12.90	सिंचाई खण्ड नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3860/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता


12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3862/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विमल शाह	टिहरी	2.3.91	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3862/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3863/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमीता	नैनीताल	15.6.91	सिंचाई खण्ड नैनीताल	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3863/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3864/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरीश सजवाण	चमोली	6.7.91	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (गुप्तकाशी)	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)(3)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3864/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3866/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जन्मेजय भट्ट	देहरादून	02.05.82	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-2 श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, जखौली	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3866/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3867 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-6 / रथा0

दिनांक 12/07/2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेश कुमार	देहरादून	25.11.83	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, कालसी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3867 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/07/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3868/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरीश दानू	चमोली	17.10.85	सिंचाई पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड श्रीनगर।	अवरथापना खण्ड, डाकपत्थर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3868/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3869/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक ~~10~~ 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती /कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपक सिंह लिंगवाल	देहरादून	23.8.86	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3869/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3870/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कमल पाण्डे	नैनीताल	15.6.88	सिंचाई खण्ड नैनीताल	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3870/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3871/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जितेन्द्र सिंह चौहान	देहरादून	9.7.88	पी०एम०जी०एस० वाई सि०ख०, पुरोला	प्रशासन खण्ड, रुड़की	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3871/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3872/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धर्मेन्द्र सिंह	पौड़ी	19.7.90	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, बैजरो	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3872/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3873/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुधीर कुमार	अल्मोड़ा	04.10.90	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, चम्पावत	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3873/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3874/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दीपिका विष्ट	चम्पावत	9.2.91	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3874/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3875/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भास्कर बसवाल	बागेश्वर	22.8.91	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-
1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
 2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
 3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
 4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
 7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
 8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
 9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3875/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3876/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	त्रिजेश कुमार	हरिद्वार	5.8.82	सिंचाई खण्ड, कालसी (दुर्गम)	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3876/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3877/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पंकज कुमार	अल्मोडा	29.6.89	सिंचाई खण्ड, अल्मोडा	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3877/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

21/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3878/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकिता नेगी	चमोली	24.11.90	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3878/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3879/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नितिन बहुगुणा	पौड़ी	28.08.92	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड- जखौली	धारा 17 (1) (ग)(तीन)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3879/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3880/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जयदीप सिंह	हरिद्वार	07.07.89	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3880/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3881/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आशीष बिष्ट	टिहरी	05.01.90	सिंचाई खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा (दुर्गम)	धारा-17 (1) (क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3881/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3882/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमर सिंह	हरिद्वार	10.12.91	सिंचाई खण्ड, रुड़की	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3882/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3883/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जावेद अहमद	हरिद्वार	05.07.89	सिंचाई खण्ड, रामनगर	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा-17 (1) (क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3883/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3884 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-6 / स्था0

दिनांक ¹² 10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उमेश कुमार धीमान	हरिद्वार	5.7.91	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा (दुर्गम क्षेत्र)	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3884 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3885/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सत्यजीत सरकार	उ०सि० नगर	05.07.87	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3885/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृपे प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3886/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विकास बडथवाल	पौड़ी	7.10.87	पी0एम0जी0 एस0 वाई0, सिं0ख0, देहरादून	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा (दुर्गम क्षेत्र)	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3886/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कौषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3887/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमित कुमार	हद्वार	04.08.90	सिंचाई खण्ड, काशीपुर	सिंचाई खण्ड, धारचूला	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3887/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3888/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 19 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनु गुप्ता	हरिद्वार	30.08.90	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश।	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3888/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/8/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3889/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंकित धीमान	हरिद्वार	3.12.90	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

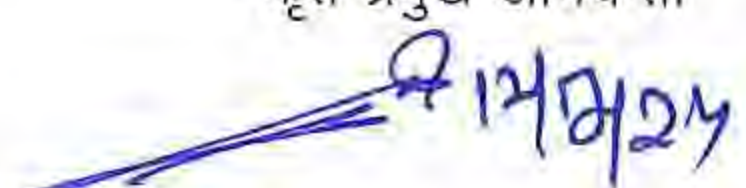
संख्या:-3889/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3890/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इन्दु टम्टा	नैनीताल	23.6.91	पी0एस0जी0 एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3890/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3891/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नेहा सिंह	देहरादून	8.10.90	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	धारा-17 (1) (क)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

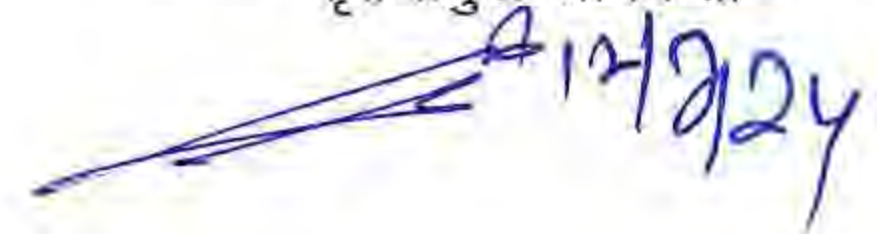
संख्या:-3891/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3892/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विनोद चौहान	टिहरी	15.12.79	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम)	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3892/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3893/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमित कुमार	हरिद्वार	2.7.81	पी०एम०जी०एस० वाई सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3893/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3894 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-6 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अवनीश कुमार	हरिद्वार	25.06.85	सिंचाई खण्ड काशीपुर	सिंचाई खण्ड, टिहरी	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3894 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3895/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रेम चन्द्र सिंह	नैनीताल	06.06.86	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3895/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3896/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील कुमार	उधमसिंह नगर	10.04.87	पी०एम०जी०एस० वाई० सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा-17 (1) (क)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3896/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3897/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12/10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विशाल रस्तोगी	मेरठ	03.08.74	पी०एम०जी०एस० वाई०,सि०ख०, चम्बा	मुख्य अभियन्ता, प्रदेशीय प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की	धारा 17 (ख) (1)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3897/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3898/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष नौटियाल	उत्तरकाशी	24.04.88	सिंचाई खण्ड, कालसी (दुर्गम)	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	धारा 17 (ख) (1)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3898/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3899/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेगराज सिंह	देहरादून	4.8.88	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ (गुप्तकाशी)	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	धारा 17 (ख) (4)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3899/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3900/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनमोल सिंह	उत्तरकाशी	2.11.95	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	सिंचाई खण्ड, देहरादून	धारा 17 (ख) (4)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

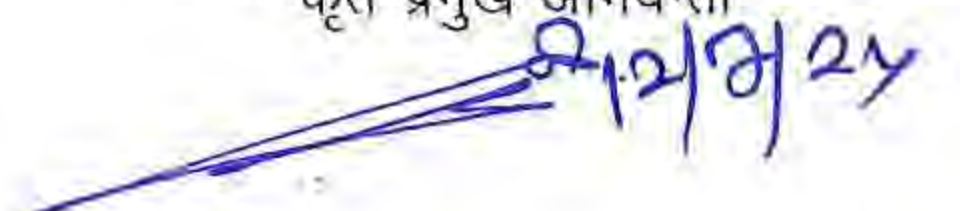
संख्या:-3900/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3901/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतम सिंह	रुद्रप्रयाग	12.8.93	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-2, श्रीनगर	धारा 17 (ख) (4)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3901/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3902/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12/10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कुलदीप नैथानी	उत्तरकाशी	8.7.87	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17 (ख) (4)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3902/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3903/प्र0अ0/सिंचाई/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नीरज रावत	चमोली	15.7.88	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड, थराली	धारा 17 (ख) (6)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3903/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

4.7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3904/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12/10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वृजेश रावत	रुद्रप्रयाग	15.2.88	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर	सिंचाई खण्ड, केदारनाथ	धारा 17 (ख) (6)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

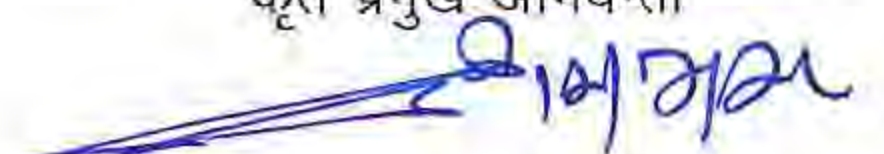
संख्या:-3904/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3905/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12/40 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मनीष बिष्ट	अल्मोड़ा	19.11.94	सिंचाई खण्ड लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	धारा 17 (ख) (6)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:-3905/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-3906/प्र0अ0/सि0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु0)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धीरेन्द्र सिंह	उत्तरकाशी	5.7.85	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड, कालसी (दुर्गम)	धारा 17 (ख) (7)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

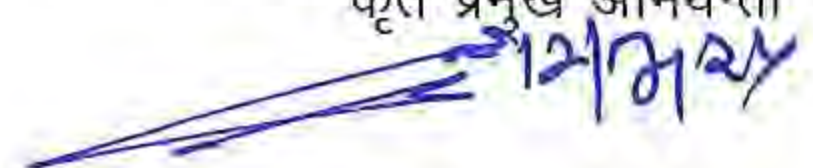
संख्या:-3906/प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: 3865 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-6 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संतोष नेगी	रुद्रप्रयाग	1.8.89	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश।	सिंचाई खण्ड, धराली	धारा 17 (ख) (7)	—

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- 3865 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/7/24

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक: ~~3861~~ 3861 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-6 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संतोष कुमार	पिथौरागढ़	5.4.84	पी0एस0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।	सिंचाई खण्ड, धारचूला	धारा 17 (ख) (7)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
9. उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या: ~~3861~~ 3861 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 4026/प्र0अ0/सिं0वि0/का0-2/ई-6/स्था0

दिनांक 12/40 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रकाश चन्द्र सिंह	अल्मोडा	15.04.84	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	सिंचाई खण्ड, नैनीताल	धारा 17 (ख) (7)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:- 4027 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / ई-6 / स्था0

दिनांक 12/10 जुलाई, 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-5 में अंकित कार्यालय से कालम-6 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती / कु०)	गृह जनपद	जन्मतिथि	वर्तमान कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	संदीप नैथानी	उत्तरकाशी	6.8.89	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	सिंचाई खण्ड, पुरोला	धारा 17 (ख) (7)	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या:- / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

12/10/24